(राजस्व वाद संख्या :–140/2005 अनवान भागीरथ बनाम हेतराम)

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम दुलचासर केरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 140/2005

1. भागीरथ पुत्र श्री हरीराम (मृतक)
   - 1.1 शान्ति पत्नि भागीरथ
   - 1.2 जगदीश
   - 1.3 पृथ्वीराज
   - 1.4 सावित्रि देवी
   - 1.5 सलोचना देवी
   - 1.6 विमला देवी
   - 1.7 महेन्द्र देवी
   - 1.8 रानी देवी

   } पुत्र/पुत्रीयान भागीरथ निवासी वार्ड नम्बर 6 अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. हेतराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी 12 एल.एल.पी. स्यागावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
   - 1.1 कलावती पत्नी हेतराम
   - 1.2 विजय कुमार पुत्र हेतराम
   - 1.3 वेदप्रकाश पुत्र हेतराम
   - 1.4 महेन्द्र कुमार पुत्र हेतराम
   - 1.5 रणवीर कुमार पुत्र हेतराम

   } निवासी 12 एल.एन.पी. स्यागावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
3. अमीचन्द पुत्र ख्यालीराम निवासी 12 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
   - 3.1 सुखीदेवी पत्नी अमीचन्द
   - 3.2 सहदेव
   - 3.3 महावीर
   - 3.4 भूपेन्द्र
   - 3.5 राजेन्द्र
   - 3.6 कलावती देवी
   - 3.7 सरस्वती देवी

   } पुत्र/पुत्रीयान अमीचन्द

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 183, आर.टी.ए.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजीतसिंह जोली अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 3.1 ता 3.7

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19-6-2017

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के पिता स्व. हरीराम पुत्र जालुराम जाति जाट निवासी 12 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से चक 12 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 50/44 मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1/.101, 2/.253 कुल 0.354 हैक्टर नहरी खातेदारी दर्ज कागजात माल है। जमाबन्दी की नकल शामिल दावा है।

वादी के पिता का देहान्त दिनांक 17.05.1990 तथा माता का देहान्त दिनांक 13.12.1985 को हो चुका है वादी का अन्य कोई भाई बहन ना होनें के कारण वादी अपनें पिता की उक्त कृषि भूमि का अकेला वारिस व हकदार होनें से खातेदार काश्तकार व हकदार है।

उक्त आराजी का अभी तक इन्तकाल वादी के नाम से नहीं किया गया है। अतः वादी उक्त अराजी को अपनी खातेदारी होनें की घोषणा करवानें व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवानें यानि पिता के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवानें आवश्यक दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे करवानें का हकदार है।

उक्त भूमि पर वादी के पिता अपनें जीवनकाल में खुद कास्त करता था व उसके देहान्त के कारण व भूमि बहुत ही कम होनें के कारण वह हिस्सा ठेका पर देकर कास्त करवानें लग गये व इस बात का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी नें वादी की उक्त कृषि भूमि चक 12 एल.एन.पी. के खाता संख्या 50/44 मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1–2 की 0.354 हैक्टर नहरी पर नाजायज कब्जा कर लिया है तथा नाजायज लाभ उठा रहे है।

वादी ने प्रतिवादी को बार बार कहा कि वह आराजी से अपना कब्जा हटाकर वादी को सौप देवे मगर वह टाल मटोल करता रहा वादी नें उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 को अथवा अन्य किसी को ना तो कभी बैय रहन अथवा अन्य किसी तरिके से मुन्तकिल किया तथा ना ही किसी प्रकार से प्रतिवादी वादी को कोई हिस्सा ठेका आदि दे रहा है। बल्कि उसनें उक्त आराजी पर नाजायज कब्जा कर रखा है अतः वह बतौर अतिक्रमी काबिज होनें से हर प्रकार से काबिल बेदखली है।

प्रतिवादी को वादी की उक्त भूमि पर किसी प्रकार से काबिज रहनें का हक हासिल नहीं है अतः वादी दावा दखलयाबी लानें व डिक्री पानें का अधिकारी है। चूकि प्रतिवादी उक्त आराजी से नाजायज लाभ उठा रहा है अतः वादी उक्त आराजी के सम्बंध में मीन प्रोफिटस लगान का 15 गुना भी प्रतिवादी से गत 3 साल का व आयन्दा ता बेदखली तक का पानें का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अदायगी का हर प्रकार से पाबन्द व जिम्मेवार है।

वादी नें प्रतिवादी को उक्त आराजी को छोड़कर वादी को सम्भला देनें तथा मीन प्रोफिटस अदा करनें के लिये बार बार कहा मगर वह टाल मटोल करके समय निकालता रहा तथा अब दिनांक 10.11.2005 को ना केवल साफ इन्कारी है बल्कि उसनें एलानियां कहा है, कि अगर कब्जा लेनें कि कोशिश वादी नें की तो उक्त भूमि में नमक शोरा आदि डालकर इसको नष्ट कर देगा अथवा अन्य किसी असामाजिक तत्व को मुन्तकिल कर देगा। जिससे कि वादी कोई लाभ ना उठा सके। अतः यही बिनाय मुखासमत है तथा वादी के लिये दावा लाना आवश्यक है।

अतः वाद वादी पेश कर अर्ज है, कि दावा वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 निम्न प्रकार से डिक्री सादिर की किया जावे व प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश दिया जावे कि :–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 3

(क) डिक्री घोषणा बदुस्ती रिकार्ड इस अमर की सादिर की जावे कि चक 12 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 50/44 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1–2 का कुल 0.354 हैक्टर नहरी का वादी को खातेदार कास्तकार हकदार घोषित करके रिकार्ड में उसके पिता का नाम हटाकर उसका नाम दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

(ख) डिक्री दखल याबी उक्त आराजी की बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी सादिर की जाकर कब्जा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे व मीन प्रोफिटस लगान का 15 गुना गत 3 साल व आईन्दा ता बेदखली दिलाया जावे।

(गा) खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो दिया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र के मद संख्या 4 में वर्णित आराजी को अपनी खातेदारी होना दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है वादी के पिता हरीराम अपनी उक्त भूमि अपनें भाई के पुत्र अमीचन्द व हजारी पिसरान श्री ख्यालीराम निवासी 12 एल.एन.पी. को तबादला में दे चुका है और इस भूमि का कब्जा उक्त अमीचन्द व हजारी को दे चुका है इस तबादला के आधार पर अभी इन्तकाल तस्दीक न होने से यह भूमि राजस्व रिकार्ड में हरीराम के नाम से चल रही है हरीराम द्वारा उक्त भूमि का कब्जा तबादला में देनें से कब्जा अमीचन्द व हजारी को हस्तान्तरित करनें से वादी इस भूमि को अपनें अधिकारों की घोषणा करवानें का अधिकारी नहीं है। और ना ही राजस्व रिकार्ड में अपनें नाम से उक्त भूमि दर्ज करवानें का हकदार है वादी के पिता नें अमीचन्द व हजारी से उनकी भूमि तबादला में ली थी और यह भूमि तबादला में दी थी।

वादी का पिता उक्त मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 व 2 की भूमि को अमीचन्द व हजारी को देनें से पूर्व स्वयं कास्त करता था परन्तु कब्जा देनें के बाद इस भूमि का अमीचन्द व हजारी काश्त करते है प्रतिवादी ने इस भूमि पर कब्जा नहीं किया है खाता संख्या 50/44 में जिस मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 व 2 का कब्जा प्रतिवादी द्वारा करनें का कथन किया है यह मुरब्बा इस खाता में है, ही नहीं।

मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 व 2 का कब्जा प्रतिवादी के पास है, ही नही तो वादी द्वारा प्रतिवादी का कहना और प्रतिवादी द्वारा टाल मटोल करनें का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है उक्त भूमि को वादी के पिता नें अमीचन्द व हजारी को कब्जा तबादला में दिया था प्रतिवादीगण द्वारा इसे विक्रय करनें का प्रश्न पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी के पास उक्त भूमि का कब्जा ही नहीं है तो बतौर अतिक्रमी होनें का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जबाबदावा मय काऊँटर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि चक 12 एल.एन.पी. के खाता संख्या 50/44 मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1, 2 में 0.354 हैक्टर रकबा हरीराम पुत्र श्री लालूराम के नाम है जबकी वादी के दादा का नाम जालूराम है इसलिये इस रकबा पर इसका कोई हक नहीं है।

वादी या उसके पिता का कोई हक व हिस्सा का रकबा बकाया नहीं है वादी व उसके पिता के हक व हिस्सा में जो रकबा प्राप्त हुआ जिसका वह पूर्व में बैयनामा करवा चुके है इस चक में इस खाता में उनका कोई रकबा नहीं है तथा ना ही इस खाता में वह किसी रकबा के काश्तकार या हकदार है तथा ना ही वह अपनें पिता का अकेला वारिस है।

घरू बंटवारा के अनुसार यह रकबा मुझ प्रतिवादी के हक व हिस्सा में आया है जिस

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

पर मुझ प्रतिवादी का कब्जा है। वादी के पिता नें अपनें जीवनकाल में दिनांक 07.06.1974 को 7.12 बीघा रकबा भूपसिंह पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी सिहागावाली को व 1.11 बीघा रकबा प्रतिवादी हेतराम पुत्र सुल्तान को बजरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा बैय कर दिया था जब वादी के पिता के द्वारा समस्त अपना हिस्सा बैयनामा करवानें के बाद कुछ भी रकबा शेष नहीं रहा तो वह किस रकबा को खुद सम्भाल करता था या हिस्से ठेके पर देता था।

वादी नें मुझ प्रतिवादी को कब्जा के बाबत कभी नहीं कहा घरू बंटवारा के अनुसार मिन प्रतिवादी को अपनें हक व हिस्सा पर अपनें हक व हिस्सा के इस रकबा पर काबिज हूँ। नाजायज काबिज नहीं हू। वादी का इस रकबा पर कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा ना ही वह कोई दावा लानें का अधिकारी है अपनें हक व हिस्सा को रकबा का वादी पूर्व में ही बेचान कर चुका है। इसी कारण वह किसी भी प्रकार से मुझ प्रतिवादी के खिलाफ डिक्री का अनुतोष पानें का अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादी द्वारा काऊटर क्लेम पेश कर चक 12 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 में 0.101 व किला नम्बर 2 में 0.253 कुल 0.354 हैक्टर रकबा को मिन प्रतिवादी खातेदार काश्तकार घोषित करनें का निवेदन करते हुए इसी अनुसार इस रकबा में से हरीराम का नाम हटाया जावें तथा खर्चा मुकद्मा दिलाये जावे एवम् अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व मुझ प्रतिवादी के पक्ष में हो प्रदान किये जानें हेतु निवेदन किया।

वादी द्वारा जबाब काऊँटर क्लेम पेश कर कथन किया कि जमाबन्दी के अनुसार खाता संख्या 50 मुरब्बा नम्बर 43 का किला नम्बर 1 का 0.101 व किला नम्बर 2 का 0.253 कुल 0.354 हैक्टर भूमि वादी के पिता हरीराम के अकेले के नाम से दर्ज है इसका किसी के साथ शेयर नहीं है। यह भूमि अमीचन्द या अन्य को नहीं दी गई है यह भूमि हरीराम की खरीद शुद्धा भूमि है। हरीराम के द्वारा कभी भी किसी अन्य को हिस्सा की भूमि विक्रय नहीं की गई है वादी अपनें पिता की खातेदारी भूमि खाता संख्या 50 मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1/.101, 2/.253 कुल 0.354 हैक्टर का वारिस हकदार है। यह भूमि वादी के पिता द्वारा कभी भी विक्रय नहीं की गई है। अतः प्रतिदावा खारिज कर वादी का वाद डिक्री किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जबाब पेश करनें पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :–

1. आया कि चक 12 एल.एन.पी. के खाता संख्या 50/44 मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1–2 में 0.354 हैक्टर नहरी भूमि का वादी खातेदार कास्तकार घोषित करके उनके पिता का नाम हटाकर वादी का नाम दर्ज किया जावे ? – – वादी
2. आया कि उक्त विवादास्पद भूमि हरीराम पुत्र लालूराम के नाम से है जो वादी के दादा का नाम है उक्त विवादास्पद भूमि पर प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है इसलिये काऊन्टर क्लेम के जरिये प्रतिवादी के हक में डिक्री किया जावे ?

– – प्रतिवादी संख्या 3

तनकी संख्या 1 को सिद्ध करनें का भार वादीगण पर था वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये गये तथा ना ही कोई गवाहान उपस्थित आये इस कारण वादी द्वारा तनकी नम्बर 1 को सिद्ध करनें में विफल रहनें के कारण तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी नम्बर 2 को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान पर था जिनके द्वारा महावीर व राजेन्द्र के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके अन्तर्गत अपनें जबाबदावा तथा काऊँटर क्लेम को दोहराते हुए दौरानें जिरह जमाबन्दी सम्वत् 2030–33

लगातार 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

प्रदर्श ए–1, बैयनामा दिनांक 07.06.1974 प्रदर्श ए–2ए असल प्रदर्श ए–2 बैयनामा दिनांक 09.08.1774 प्रदर्श ए–3ए असल प्रदर्श ए–3 को प्रदर्श करवाया गया। इस कारण तनकी नम्बर 2 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किया जाता है।

A24/5

–:: आदेश ::–

अतः साक्ष्य के अभाव में वाद वादी अस्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 का काऊँन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वाद में वर्णित भूमि चक 12 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 50/44 में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1/.101व 2/.253 कुल 0.354 हैक्टर भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत अमीचन्द पुत्र ख्यालीराम (मृतक) के वारिसान प्रतिवादी संख्या (3.1) सुखीदेवी पत्नी अमीचन्द, (3.2) सहदेव, (3.3) महावीर, (3.4) भूपेन्द्र, (3.5) राजेन्द्र, (3.6) कलावती देवी, (3.7) सरस्वती देवी को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 19-06-2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुल्लापुरकेरी के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
प्रदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर